

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व पूंजी जोड़	2124.14 0.01 2124.15	2832.40 ... 2832.40	4956.54 0.01 4956.55	1999.99 0.01 2000.00	2832.40 ... 2832.40	4832.39 0.01 4832.40	2224.14 0.01 2224.15	2833.24 ... 2833.24	5057.38 0.01 5057.39	
1.	सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	26.21	26.21	...	32.38	32.38	...	27.54	27.54
2.	विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
माध्यमिक शिक्षा											
3.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	14.00	36.00	50.00	18.00	36.00	54.00	19.00	36.00	55.00
4.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	85.00	559.00	644.00	103.57	558.00	661.57	85.00	559.49	644.49
5.	नवोदय विद्यालय समिति	2202	360.00	130.00	490.00	439.56	130.00	569.56	392.00	131.00	523.00
6.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)	2202	15.00	...	15.00	11.50	...	11.50	12.50	...	12.50
		3601	94.00	...	94.00	12.50	...	12.50	83.00	...	83.00
		3602	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
	जोड़		111.00	...	111.00	25.00	...	25.00	97.00	...	97.00
7.	अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	2202	12.20	...	12.20	6.70	...	6.70	12.20	...	12.20
		3601	22.70	...	22.70	31.62	...	31.62	26.60	...	26.60
		3602	0.10	...	0.10	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20
	जोड़		35.00	...	35.00	38.50	...	38.50	39.00	...	39.00
8.	विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	2202	7.50	...	7.50	6.40	...	6.40	7.75	...	7.75
		3601	18.25	...	18.25	1.25	...	1.25	12.00	...	12.00
		3602	0.25	...	0.25	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25
	जोड़		26.00	...	26.00	7.80	...	7.80	20.00	...	20.00
9.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	2202	15.00	...	15.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
10.	उपलब्धता एवं समानता	2202	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	21.00	...	21.00
		3601	3.50	...	3.50	0.01	...	0.01	8.50	...	8.50
		3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़		20.00	...	20.00	16.51	...	16.51	30.00	...	30.00
11.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	3.00	13.00	16.00	2.97	13.00	15.97	3.00	13.40	16.40
12.	अन्य कार्यक्रम	2202	...	1.38	1.38	0.52	1.38	1.90	1.00	1.38	2.38
जोड़-माध्यमिक शिक्षा			669.00	739.38	1408.38	659.43	738.38	1397.81	693.00	741.27	1434.27
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा											
13.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	516.75	1113.80	1630.55	516.75	1112.30	1629.05	541.75	1113.80	1655.55
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	67.00	1.00	68.00	20.00	...	20.00	67.00	1.00	68.00
15.	विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	1.00	1.00	...	30.39	30.39	...	1.00	1.00
16.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	17.50	24.00	41.50	17.50	24.00	41.50	17.50	24.00	41.50
17.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	2.80	5.00	7.80	2.80	5.00	7.80	2.80	5.00	7.80
18.	ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	0.80	...	0.80	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
19.	शिक्षण कॉमनवेल्थ	2202	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
20.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.75	4.00	6.75	2.75	4.00	6.75	2.75	4.00	6.75
21.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2202	2.40	2.40	4.80	2.40	2.40	4.80	2.40	2.40	4.80
22.	शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	1.93	1.93	...	1.93	1.93	...	1.93	1.93
23.	अन्य कार्यक्रम	2202	5.00	1.51	6.51	4.01	1.16	5.17	4.80	1.51	6.31
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			615.00	1156.64	1771.64	566.22	1183.18	1749.40	640.00	1156.64	1796.64
भाषाओं का विकास											
24.	हिन्दी निदेशालय	2202	5.50	5.50	11.00	6.50	4.91	11.41	7.34	5.24	12.58

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
25. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	2.10	1.40	3.50	1.70	1.28	2.98	2.10	1.40	3.50
26. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	5.75	6.50	12.25	2.50	6.50	9.00	3.00	6.50	9.50
27. हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	2202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3601	11.48	...	11.48	11.48	...	11.48	12.98	...	12.98
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	13.00	...	13.00
28. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	9.75	...	9.75	10.25	...	10.25	11.00	...	11.00
29. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	5.98	7.62	13.60	6.50	7.33	13.83	7.95	7.80	15.75
30. एनसीपीएसएल	2202	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.85	...	0.85
31. राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	2202	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
32. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	1.40	...	1.40	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
	3601	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80
	जोड़	1.40	0.80	2.20	3.00	0.80	3.80	4.00	0.80	4.80
33. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	15.07	16.00	31.07	15.50	16.00	31.50	19.50	16.00	35.50
34. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50
35. संस्कृत शिक्षा का विकास	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3601	12.25	...	12.25	13.75	...	13.75	16.00	...	16.00
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40
	जोड़	12.47	...	12.47	13.97	...	13.97	16.42	...	16.42
36. संस्कृत - अन्य	2202	0.53	...	0.53	1.03	...	1.03	1.58	...	1.58
37. क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	3601	31.50	...	31.50	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00
38. मानव मूल्य शिक्षा	2202	9.00	...	9.00	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
जोड़-भाषाओं का विकास सामान्य		114.00	37.82	151.82	105.40	36.82	142.22	121.29	37.74	159.03
39. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना/ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	0.12	0.69	0.81	0.02	0.73	0.75	0.09	0.73	0.82
	3601	7.56	1.41	8.97	0.92	0.47	1.39	6.65	1.41	8.06
	3602	0.32	0.08	0.40	0.06	0.03	0.09	0.26	0.08	0.34
	जोड़	8.00	2.18	10.18	1.00	1.23	2.23	7.00	2.22	9.22
40. पुस्तक संवर्धन	2202	12.00	9.40	21.40	10.91	8.92	19.83	6.71	7.40	14.11
41. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को	2202	2.00	7.90	9.90	4.33	8.02	12.35	2.59	7.48	10.07
42. आयोजना मानदण्ड	2202	3.15	2.55	5.70	2.70	2.55	5.25	3.55	2.65	6.20
43. सांख्यिकी	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
44. प्रशासन	2202	...	4.71	4.71	...	4.71	4.71	...	4.71	4.71
जोड़-सामान्य		26.15	26.74	52.89	18.95	25.43	44.38	19.86	24.46	44.32
जोड़-सामान्य शिक्षा		1424.15	1960.58	3384.73	1350.00	1983.81	3333.81	1474.15	1960.11	3434.26
तकनीकी शिक्षा										
45. सामुदायिक पालिटेक्निक्स	2203	70.00	2.00	72.00	20.00	2.00	22.00	29.23	2.00	31.23
46. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	140.00	449.02	589.02	214.40	449.02	663.42	200.00	449.02	649.02
47. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	2203	80.00	136.69	216.69	90.00	136.69	226.69	80.00	156.42	236.42
48. छात्रवृत्तियां/अप्रेंटिसिप प्रशिक्षण	2203	15.00	10.00	25.00	11.00	10.00	21.00	15.00	10.00	25.00
49. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, और लखनऊ	2203	25.00	49.73	74.73	10.00	49.73	59.73	15.00	30.00	45.00
50. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	17.00	82.00	99.00	30.00	82.00	112.00	30.00	82.00	112.00
51. ए.आई.सी.टी.ई. तकनीकी शिक्षा ब्यूरो तथा इसकी समिति एवं बोर्डों का पुनर्गठन, पुनर्संरचना तथा सुदृढीकरण	2203	100.00	30.00	130.00	50.00	...	50.00	60.00	30.00	90.00
52. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	2203	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
53. अपंगों के लिए पालीटेक्नीक	2203	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
54. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	2.50	4.50	7.00	2.50	4.50	7.00	5.00	4.50	9.50
55. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	2203	5.00	8.00	13.00	5.00	8.00	13.00	3.00	8.00	11.00
56. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.50	4.71	8.21	3.00	4.71	7.71	3.00	4.71	7.71
57. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	4.00	6.00	10.00	4.00	6.00	10.00	4.00	6.00	10.00
58. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	2203	12.00	16.00	28.00	8.00	16.00	24.00	12.00	16.00	28.00
59. संत लॉगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.00	12.00	15.00	3.00	12.00	15.00	3.00	12.00	15.00
60. आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	2203	2.50	4.50	7.00	8.00	4.50	12.50	5.00	4.50	9.50
61. आई.एस.एम., धनबाद	2203	6.00	15.00	21.00	6.00	15.00	21.00	3.00	15.00	18.00
62. अनुसंधान और विकास	2203	20.00	...	20.00	13.06	...	13.06	25.00	...	25.00
63. आधुनिकीकरण और पुरानी प्रणाली को हटाना	2203	15.00	...	15.00	12.82	...	12.82	5.00	...	5.00
64. तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	2203	15.00	...	15.00	9.22	...	9.22	5.00	...	5.00
65. प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.50	2.00	3.50	1.00	2.00	3.00	1.50	2.00	3.50
66. प्रोफेसर और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2203	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
67. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
	3601	47.00	...	47.00	14.50	...	14.50	47.00	...	47.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	50.00	...	50.00	15.00	...	15.00	50.00	...	50.00
68. अन्य कार्यक्रम	2203	93.49	0.75	94.24	113.49	0.75	114.24	182.76	0.75	183.51
	3601	...	0.01	0.01
	3602	...	0.01	0.01	...	0.62	0.62
	4202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	93.50	0.77	94.27	113.50	1.37	114.87	182.77	0.75	183.52
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास										
69. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर	2552	3.00	12.00	15.00	9.00	12.00	21.00	3.00	12.00	15.00
जोड़-तकनीकी शिक्षा		700.00	844.92	1544.92	650.00	815.52	1465.52	750.00	844.90	1594.90
खेलकूद और युवा सेवाएं										
70. शारीरिक शिक्षा	2204	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
जोड़-खेलकूद और युवा सेवाएं		...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
71. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552
	4552
	जोड़
कुल जोड़		2124.15	2832.40	4956.55	2000.00	2832.40	4832.40	2224.15	2833.24	5057.39
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	1425.00	...	1425.00	1350.01	...	1350.01	1475.00	...	1475.00
2. तकनीकी शिक्षा	22203	697.00	...	697.00	641.00	...	641.00	747.00	...	747.00
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	22204
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	3.00	...	3.00	9.00	...	9.00	3.00	...	3.00
जोड़-केन्द्रीय आयोजना		2125.00	...	2125.00	2000.01	...	2000.01	2225.00	...	2225.00
* इसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।										
मांग संख्या 99		0.85	...	0.85	0.01	...	0.01	0.85	...	0.85

1. **सचिवालय:** इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।
2. **विवेकाधीन अनुदान:** स्कीम का नियंत्रण करने वाले नियमों के अनुसार पात्र मामलों में वित्तीय सहायता जारी करके विवेकाधीन अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्री को सुपुर्द किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

3. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी के मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में सहायता करना और सलाह देना है।

4. **केन्द्रीय विद्यालय:** केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियंत्रण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में मुख्य रूप से स्थानान्तरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई थी।

5. **नवोदय विद्यालय:** प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में निर्णय लिया गया था। इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है।

6. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी):** स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की योजना स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (सीएलएएसएस) और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (ईटी) की मौजूदा योजनाओं का विलयन करके तैयार की गई है।

7. **विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईडीसी):** इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में सामान्य विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने में और अन्ततः समेकित करने में मदद करने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को शारीरिक और मानसिक रूप से कम या ज्यादा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपस्कर, प्रोत्साहन और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

8. स्कूलों में गुणवत्ता सुधार:

- I. 10वीं योजना के दौरान "स्कूलों में गुणवत्तासुधार" की केन्द्र प्रायोजित संयुक्त स्कीम को विभाग की पांच मौजूदा स्कीमों को उसके घटकों के रूप में शामिल करते हुए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- II. प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

उद्देश्य:

1. ऐसी आधारभूत संरचना का पता लगाना और उसके विकास को बढ़ावा देना जिसका स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर प्रभाव पड़े।
2. स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देते हुए समानता और विविधता, साझी स्कूल प्रणाली और सभी के लिए उत्कृष्टता के मुद्दे को सामने लाना।
3. स्कूलों की विभिन्न प्रणालियों--सरकारी, सहायता-प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त के बीच संसाधनों और विशेषज्ञता की नेटवर्किंग और भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार हो सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी): स्कूल शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत रूप देने के लिए अप्रैल, 1980 में स्कूल शिक्षा शुरू की गई।

स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था

"स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना 1988-89 में शुरू की गई थी। इस योजना में स्वयंसेवी एजेंसियों को

प्रयोगात्मक और नूतन कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता परिकल्पित है जिनका उद्देश्य स्कूलों में स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं में शैक्षणिक कार्यक्रमों के समेकन को बढ़ावा देना है।

विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 में की गई परिकल्पना के अनुसार विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा वैज्ञानिक रुचि के संवर्धन के लिए "विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वयंसेवी अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

9. **मुक्त विद्यालय कार्यक्रम:** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक से स्नातक-पूर्व स्तर तक उसके शैक्षणिक, जीवन समृद्ध और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से विकासात्मक शिक्षा प्रदान करना है। यह औपचारिक प्रणाली के एक विकल्प के रूप में स्कूल के चरण पर मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है।

10. **समानता के साथ अभिगम्यता:** यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा पर कार्यदल की सिफारिशों पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई एक नई स्कीम है। स्कीम के अधीन निम्नलिखित तीन घटक प्रस्तावित हैं:

- i. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित लड़कियों के छात्रावास के मौजूदा कार्यक्रम का सुदृढीकरण
- ii. माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लिए विख्यात गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसायटियों और राज्य सरकारों आदि को एकबारगी सहायता।

इस स्कीम के अधीन कक्षा 6-12 की बालिका विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रम संख्या ii के सामने दर्शाए गए घटकों को भी चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

11. **केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सीटीएसए का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में बिखरे हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। सीटीएसए के 79 स्कूल हैं।

12. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें स्कूल शिक्षा, आक्रमणों के दौरान मृत/विकलांग सशस्त्र सेना कर्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक रियायत, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा

13. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:** इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी।

14. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयु):** जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ वंचित समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने, नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने; और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए सितम्बर, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी।

15. **विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार:** यह प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षा समिति की, सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

16. **भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद:** भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यतः अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को पुरस्कृत करने, अनुसंधान प्रणाली विज्ञान/कम्प्यूटर उपयोग संबंधी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने,

अनुसंधान संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान देने और अनुसंधान अनुदान प्रदान करने, डाटा प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, डाटा बैंकों की स्थापना करने, प्रलेखन सेवाओं के केन्द्रों का विकास करने, चुनिंदा समाजविज्ञान साहित्य के प्रकाशन/अनुसंधान प्रकाशनों/अनुसंधान सर्वेक्षणों और समाजविज्ञान से संबद्ध सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन और प्रायोजन को वित्तपोषित करने, अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, उन्हें अध्ययन संबंधी अनुदान प्रदान करने आदि के लिए की गई थी।

17. **भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.):** भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) की स्थापना ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में की गई थी। यह कला, साहित्य और दर्शन तथा पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, पुरालेखशास्त्र और हस्तलिपियों के ऐतिहासिक अध्ययन जैसे सम्बद्ध विषयों सहित ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है।

18. **राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद:** राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद को 19 अक्टूबर, 1995 को हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के रूपान्तरण के लिए छोटे स्तर की आयोजना की चुनौतियों को लिया जा सके और गांधीवादी प्राथमिक शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में कार्यरत नेटवर्क को सुदृढ़ करने और संस्थाओं को विकसित करने का काम किया जा सके।

19. **कामनवैल्य आफ लर्निंग:** कामनवैल्य आफ लर्निंग (सीओएल) की स्थापना राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय वैंकुअर (कनाडा) में है। इसका कार्य दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रदत्त क्षमता का प्रयोग करके राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ज्ञान के अवसर सृजित करना और उन तक पहुंच बढ़ाना है।

20. **भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (आईआईएस):** भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस) अनुसंधान के लिए 1965 में गठित एक आवासीय केन्द्र है और यह चुनिंदा विषयों जैसे मानव विज्ञान, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान आदि में रचनात्मक विचारों के संवर्धन को प्रोत्साहित करता है। आईआईएस, शिमला प्रतिवर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित करता है जिसमें सैद्धान्तिक मुद्दों और समकालीन समस्याओं की जांच करने के लिए संस्थान के शैक्षणिक बिरादरी के सदस्यों के साथ सहभागिता के लिए असाधारण विद्वानों और विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है।

21. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली:** भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की स्थापना सरकार द्वारा, दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

22. **शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान:** शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान का सृजन मुख्यतया शैक्षणिक क्रियाकलापों की सुविधाएं प्रदान करके भारत और कनाडा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1968 में भारत और कनाडा सरकार की संयुक्त घोषणाओं द्वारा किया गया था। भारत सरकार, 1968 में भारत सरकार और संस्थान के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार संस्थान को निधियां प्रदान करेगा।

23. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, डा0 जाकिर हुसैन स्मारक महाविद्यालय, अखिल भारतीय महत्व के उच्चतर शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापकों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

भाषाई विकास संस्थाएं

24. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सीएचडी):** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1960 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का प्रचार और एक संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करना था। इस निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा चेन्नई में स्थित हैं।

25. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी

जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करना, सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार करना, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान करना, एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक माध्यम के निर्बाध परिवर्तन के लिए शब्दावली कार्यशालाओं का आयोजन करना था।

26. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केएचएसएम, आगरा):** हिन्दी के अखिल भारतीय मानकों को उन्नत करने और इसके विकास तथा पूरे भारत में प्रचार के लिए, एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था "केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल" की स्थापना 19 मार्च, 1960 में की गई थी। यह पूरी तरह वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान एक विशिष्ट भाषा के तौर पर हिन्दी के प्रयोग और इसके अध्यापन के प्रचार और विस्तार, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण और उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने तथा धीरे-धीरे शिक्षा को उनकी मातृभाषा से हिन्दी में परिवर्तित करने, सेवाकालीन अध्यापकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षित करने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यापकों को अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम से परिचित कराने, हिन्दी के प्रचार के लिए एजेंटों और एजेंसियों को नियुक्त करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यह मंडल हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश में हिन्दी प्रचार की स्कीम भी चलाता है।

27. **भाषा अध्यापकों की नियुक्ति:** स्कीम के तीन मुख्य घटक हैं:-

(क) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण योजना।

(ख) हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमआईएल(हिन्दी को छोड़कर) अध्यापकों की नियुक्ति।

(ग) उर्दू-अध्यापकों की नियुक्ति स्कीम और उर्दू अध्यापन के लिए मानदेय।

28. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद:** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में दिनांक 1.4.1996 से कार्य करना आरंभ किया है जिसका उद्देश्य कैलीग्राफी प्रशिक्षण केन्द्रों, उत्पादन और प्रकाशन योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम योजना के माध्यम से उर्दू भाषा के साथ-साथ अरबी और फारसी भाषाओं का संवर्धन करना है।

29. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल):** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास/कार्यान्वयन करने के लिए और भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा-शास्त्र भाषा-तकनीक और समाज में भाषा के प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान करके भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने में सहायता करने के लिए 1969 में की गई।

30. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल), वडोदरा:** राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना अप्रैल, 1994 में की गई थी जिसका उद्देश्य सिंधी भाषा के संवर्धन हेतु सिंधी साहित्य प्रकाशन/सम्मेलनों और गोष्ठियों के आयोजन द्वारा सिंधी भाषा का विकास, संवर्धन और प्रचार करना है।

31. **भारतीय भाषा संवर्धन परिषद:** देश में भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन, विकास तथा प्रचार के लिए किए जाने वाले उपायों पर समय-समय पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय भाषा संवर्धन परिषद का गठन किया गया है।

32. **केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सीआईईएफएल):** केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान एक पूरी तरह निधि पोषित परिकल्पित विश्वविद्यालय है। यह राज्य सरकारों, विकसित शिक्षण वाले स्वायत्त संगठनों के सहयोग से स्कूली अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, शिक्षण सामग्रियों का विकास करता है और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान की स्कीम को कार्यान्वित करता है/मानीटर करता है और उस भाषा में बेहतर शिक्षण मानक बनाए रखने के प्रयास के रूप में अंग्रेजी भाषा के जिला केन्द्रों को निधियां जुटाता है।

33. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान:** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसे इसके 10 परिसरों सहित एक परिकल्पित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है जिसका उद्देश्य संस्कृत में परम्परागत ज्ञान का संरक्षण, प्रसार और आधुनिकीकरण तथा संस्कृत में अनुसंधान और केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रबंधन है।

34. महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन:

इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना अगस्त, 1987 में वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण, संरक्षण और विकास, पाठशालाओं तथा अन्य माध्यमों और संस्थाओं के जरिए वेदों के अध्ययन और अनुसंधान सुविधाओं के सृजन और संवर्धन के लिए की गई ताकि वेदों में निहित ज्ञान की समृद्ध संपत्ति को प्रकाश में लाया जा सके और इसे सामयिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।

35 और 36. संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम: भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है: (क) निर्धनता की स्थिति में प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों की सहायता, (ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण, (ग) उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, (घ) उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, (ङ) संस्कृत के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों तथा (च) स्कूलों, संस्कृत कॉलेजों/विद्यापीठों में संस्कृत पढ़ाने की प्रणाली को बेहतर बनाना।

37. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम:**अल्पसंख्यक शिक्षा**

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1986 जिसमें 1992 में संशोधन किया गया, समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की संकल्पना करती है। विभाग ने उसके अनुसरण में स्कीमों की शुरुआत की जैसे:

(क) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम,

(ख) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण।

38. शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता की योजना: इस स्कीम के अधीन सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों, लोक न्यासों और गैर-लाभकारी कंपनियों को परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्य:

39. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम: राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को समर्थन देना और उन्हें मैट्रिक के पश्च स्तर पर राज्यवार योग्यता आधार पर मान्यता और वित्तीय सहायता देते हुए अध्ययन में शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बनने के लिए बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 9 से 10 तक मेधावी और योग्य विद्यार्थियों को भी अलग से मान्यता और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

40. पुस्तक संवर्धन

वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल बुक ट्रस्ट, बेहतर साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा जनता के प्रयोजनार्थ साधारण मूल्यों पर ऐसे साहित्यों को उपलब्ध भी कराता है।

बौद्धिक संपत्ति शिक्षा, अनुसंधान और जनता की पहुंच संबंधी योजना

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में एक आयोजना स्कीम अर्थात् विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्ययन पर वित्तीय सहायता की योजना का बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और जनता की पहुंच संबंधी योजना (आईपीआईआरपीओ) के साथ विलय किया गया है।

विलय की गई स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के रूप में कल्पित संस्थाओं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों, भारत सरकार में कापीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कापीराइट सोसाइटियों, लेखकों के स्वयंसेवी संगठनों, प्रकाशकों, कलाकारों, अदाकारों, फिल्म निर्माताओं, पुस्तक विक्रेताओं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादकों या विक्रेताओं आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनिन-विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन (विपो) को भारत का अंशदान

यह स्कीम विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन (विपो), जिसका भारत एक सदस्य है, को भारत के वार्षिक अंशदान को पूरा करने के लिए है।

41. यूनेस्को: आयोग की बैठकों के व्यय को पूरा करने और यूनेस्को के लक्ष्य और उद्देश्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमों यूनेस्को प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) **यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों/यूनेस्को क्लब/संबद्ध

स्कूलों को यूनेस्को के लक्ष्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकलाप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) **औरोविल्ले प्रबंध:** भारत सरकार ने औरोविल्ले (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 के अधीन 1980 में औरोविल्ले का प्रबंधन एक सीमित अवधि के लिए अपने हाथ में लिया और इसे औरोविल्ले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 को अंतरित किया। औरोविल्ले फाउंडेशन में केन्द्र सरकार द्वारा औरोविल्ले की विभिन्न विकास और निर्माण गतिविधियों सहित फाउंडेशन के प्रबंधन के लिए अनुदानों की स्वीकृति की व्यवस्था है।

(iii) **यूनेस्को हाऊस का निर्माण:** भारत यूनेस्को, नई दिल्ली को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अभी तक कार्यालय एक किराए के भवन से कार्य कर रहा है, जिसके लिए किराया माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा अदा किया जा रहा है। दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय का भवन निर्मित करने का निर्णय किया गया है।

42. योजना मानदंड:

(i) **राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान:** राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस संस्थान के उद्देश्यों में शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन में अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और दूसरे देशों विशेषकर एशियाई क्षेत्र के भाग लेने वालों को ऐसे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना है।

शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्ययनों हेतु सहायता, संगोष्ठी विकास आदि की योजना: शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनार विकास की सहायता का उद्देश्य पात्र संस्थाओं और संगठनों को प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे विभिन्न ऐसे कार्यकलापों को वित्तपोषित किया जा सके जिनका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबंधन और कार्यान्वयन के पहलुओं पर सीधा असर है।

43. सांख्यिकी: यह सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न शैक्षणिक स्कीमों के समग्र अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए है।

44. प्रशासन: इसमें विदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

45. समुदायिक पॉलीटेक्निक की योजना: सामुदायिक पॉलिटेक्निकों की योजना वर्ष 1978-79 के दौरान भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में शुरू की गई थी। योजना के मौजूदा मानदंडों के अधीन चुनिन्दा एआईसीटीई अनुमोदित डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं, जिन्हें सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के रूप में जाना जाता है, को 7.25 लाख रुपए की एक बारगी अनावर्ती अनुदान सहायता और 7.00 लाख रुपए का अधिकतम सहायता-अनुदान जारी किया जाता है।

46. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान: खड़कपुर, बंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रूड़की में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करने और शिक्षा की तरक्की के लिए इंजीनियरी और तकनीकी में विश्व श्रेणी प्रशिक्षण प्रदान करना, संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान का संचालन करना है।

47. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज(आरईसी)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी): केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त जोखिम के रूप में इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट, हमीरपुर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, नागपुर, राउरकेला, सिल्वर, सूरत, सूथकला और वाराणसी में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई। सरकार ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को व्यावसायिक प्रबंधन संरचना और सम विश्व-विद्यालय स्तर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में परिवर्तित करने का प्रमुख निर्णय लिया है।

केन्द्रीय सरकार ने 14.5.2003 से सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का पूरा प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संभाल लिया है।

48. प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीम: यह स्कीम स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारकों और 10+2 (व्यावसायिक) उत्तीर्ण छात्रों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार

विभिन्न उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

49. **भारतीय प्रबंध संस्थान:** भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोट में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में छह भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य प्रबंधन के क्षेत्र में शैक्षणिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

50. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर:** भारतीय विज्ञान संस्थान, (आईआईएस) बंगलौर की स्थापना, स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने और आधारभूत विज्ञानों और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1909 में की गई थी।

51. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद:** 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति को 1987 में सांविधिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति के मुख्य उद्देश्य, तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास करना, मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना, और तकनीकी शिक्षा में प्रतिमानकों और मानकों का अनुक्षण करना हैं।

52. **प्रौद्योगिकी विकास मिशन:** खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी, एकीकृत डिजाइन और प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण, फोटोनिक उपकरण और प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों, संचार नेटवर्किंग और स्वचालित बुद्धिमत्ता, नई सामग्रियां और आनुवंशिकी इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में प्रौद्योगिकी विकास मिशनों की स्थापना की गई है।

53. **अपंगों के लिए पॉलीटेक्नीक:** योजना का उद्देश्य देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 विद्यमान पॉलीटेक्नीकों का उन्नयन करने और शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग, आंशिक रूप से गूंगे और बहरे) व्यक्तियों को मुख्य धारा में मिलाने के लिए उनका चयन करना है।

54. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर:** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (आईआईआईटीएम), ग्वालियर की स्थापना व्यापक प्रबंधकीय कौशलों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य से की गई है। वर्ष 2001 में इस संस्थान को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

55. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई:** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता से वर्ष 1963 में एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईआईई), मुंबई की स्थापना की गई थी। एनआईआईई को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में भी मान्यता दी गई है।

56. **राष्ट्रीय संधानशाला (फाउंडरी) और भट्टी (फोर्ज) प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची:** भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी की सहायता से वर्ष 1966 में राष्ट्रीय संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, संधानशाला, भट्टी और संबद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन करना है और इन उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है।

57. **आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली:** आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, (एसपीए) नई दिल्ली की स्थापना, वास्तुकला और संबद्ध विषयों, ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1959 में की गई थी। वर्ष 1979 में संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

58. **तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान:** ये संस्थान आयोजना, डिजाइनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गुणवत्ता शिक्षा संगठन, बुहुशिल्प के लिए अनुसंधान अध्ययनों और शिक्षण पैकेजों, उद्योगों और समुदाय में क्रियात्मक रूप से भाग लेते हैं।

59. **संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल:** संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईआईटी) इंजीनियरी और

प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों तथा प्रायोगिक विज्ञान स्रोतों के क्षेत्र में कुशल मानवशक्ति को प्रेरणा देने के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था।

60. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद:** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) इलाहाबाद सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षण अनुसंधान व विकास आदि प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

61. **इंडियन स्कूल आफ माइन्स (आईएसएम) धनबाद:** खनन तथा संबद्ध क्षेत्रों में निर्देश और अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) धनबाद की स्थापना की गई थी। वर्ष 1967 में आईएसएम को केन्द्र सरकार के अधीन जिसे सम-विश्वविद्यालय माना जाए का दर्जा देते हुए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया।

62. **अनुसंधान और विकास स्कीम:** अनुसंधान और विकास की योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की अंतर्विधाओं और नए उभरते हुए क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को निधिपोषित करना है। इस योजना में विद्यमान प्रौद्योगिकी में सुधार लाना, सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने के लिए सक्षमता निर्माण की संकल्पना की गई है। योजना के दायरे में तकनीकी संस्थाओं मुख्यतया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाएं शामिल हैं।

63. **आधुनिकीकरण और अप्रचलन को हटाने की स्कीम (एमओडीआरओबी):** आधुनिकीकरण एवं अप्रचलन को हटाने की स्कीम के अधीन उपस्कर, मशीनरी, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं और पुस्तकालय तथा संबंधित सुविधाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन घटनाक्रम के दृष्टिगत तकनीकी संस्थाओं की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाया जाता है।

64. **तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु स्कीम:** तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

- प्रौद्योगिकी के निर्णायक क्षेत्रों में जहां कमजोर विद्यमान है, सुविधाओं का सुदृढीकरण।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का सृजन।
- नए और/अथवा उन्नत प्रौद्योगिकियों का कार्यक्रम और विशिष्ट क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना।

65. **प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम (बोट्स):** प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीम का कार्यान्वयन एक सांविधिक आवश्यकता है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीम लगभग 10,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीकीविद) और 10+2 व्यावसायिक उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए अवसर प्रदान करती है।

66. **व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान:** देश में पालीटेक्निक्स के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाई गई तकनीकी शिक्षा-1 एवं तकनीकी शिक्षा-2 परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा-3 नामक एक अन्य परियोजना शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू व कश्मीर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।

67. **व्यावसायिक शिक्षा:** जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संकल्पना की गई है, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलता घटाने के लिए शैक्षणिक अवसरों के विविधीकरण की व्यवस्था करता है और यह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। योजना के अधीन +2 स्तर पर कृषि, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और पाराचिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि के क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

68. **अन्य कार्यक्रम:**

- डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन:** डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन

की स्कीम के अन्तर्गत 1.1.1996 से 31.2.2000 तक की अवधि के लिए डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए निहित 80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii) **एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल):** तकनीकी सहायता क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं को चलाने हेतु 1981 में भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल) की स्थापना की गई।

iii) **एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एआईटी), बैंकाक:** सीटों के सदस्य राज्यों की उन्नत तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से सीटो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में 1959 में एआईटी की स्थापना की गई थी।

iv) **अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग:** आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, आईएसएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, बीएचयू, जैसे विश्वविद्यालय विकसित देशों की संस्थाओं के साथ समान आधार पर सहयोग कर सकते हैं।

v) **सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम:** सूचना प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगतियों ने देश को जो अवसर प्रदान किए हैं उनका उपयोग करने के लिए आईटी जनशक्ति से संबंधित प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर आईटी में एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

iv) **प्रौद्योगिकी शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन:** प्रौद्योगिकी शिक्षा के सभी क्षेत्रों के समन्वित एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है।

vii) **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:** प्रस्तावित कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक-क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: (1) शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास (2) इंजीनियरी संस्थानों की नेटवर्किंग (3) प्रबंध क्षमता का विकास। पहले चरण के दौरान यह कार्यक्रम 70 से 80 प्रतियोगी रूप से चुने गए इंजीनियरिंग संस्थानों, जिनमें 18 अग्रणी संस्थान और शेष नेटवर्क संस्थान शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

viii) **जैव-प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर:** आईआईटी और आईआईएससी, बंगलौर जैसी शीर्षस्थ संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए

जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु विशेष जोर देने के एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाओं के पास पूर्ण जैव-प्रौद्योगिकी विभाग होंगे और जहां कहीं ऐसे कार्यक्रम विद्यमान न हो वहां इस क्षेत्र में वह स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और डाक्टरल स्तर पर ऐसे कार्यक्रम शुरू करेंगे।

ix) **राष्ट्रीय भूकम्प-इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रम:** देश में भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए एक राष्ट्रीय भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईईई) का प्रस्ताव किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश के व्यावसायिक इंजीनियरों एवं वास्तुकारों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने और भूकम्प इंजीनियरी में इंजीनियरी एवं वास्तुशिल्प संस्थाओं को जागरूक बनाते हुए अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सामग्री का विकास, पुस्तकालय संसाधनों का विकास, प्राथमिक और आधुनिकतम शिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल होंगे।

x) **दूरस्थ शिक्षा और वैब आधारित शिक्षा के लिए सहायता:** तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दूरस्थ एवं वैब-आधारित शिक्षण अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को सीखने वालों की संख्या के संदर्भ में दबाव सामान्य रूप में जन समुदाय को और विशेष रूप में कमजोर वर्गों को शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाएगा।

xi) **संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए संस्थाओं की नेटवर्किंग हेतु सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान देश की तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में एक आदर्श बन चुके हैं। गत वर्षों में इन्होंने ऐसी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं ज्ञान पद्धतियों, अनुसंधान परिवेशों एवं संस्कृति को विकसित किया है जो विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं से तुलना योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, देश में काफी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ सहायता मिलने पर उत्कृष्ट क्षमता उत्पन्न कर सकती हैं।

69. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट):** पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट) की 1986 में ईटानगर में स्थापना की गई थी।

70. **विद्यालयों में योग को बढ़ावा देना:** विद्यालयों में योग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1989-90 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।